


# भारतीय गैर न्यायिक



दस  
रुपये

5.10  
RUPEES  
CANCELED




TEN  
RUPEES

Rs. 10

## INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

14AA 410365



R.T.  
Non-judicial  
Revenue  
Department  
Uttarakhand  
2012

5/11/2013 3:24 PM AC 34

## प्र० 26

(नियम 4क देखिए)

6.9 नानक पता निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

विद्याज सभा

(सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए

रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र।

मैं रेखा चन्द्र राणा पुत्र/पुत्री/सन्नी/स्वीडी हाहा राम आयु ६३ वर्ष  
 जोग्राम व पौ० नौ गवा छू० तहां खड़ी हू० का/की निवासी हू० और उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हू०  
 सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हू०/ करती हू०/ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हू०/ करती हू० :-

1. मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हू० जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध(अपराधों)का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी):

- (I) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं..... M.A.....
- (II) पुलिस थाना (थाने)..... M.A..... जिला (जिले)..... M.A..... राज्य..... M.A.....
- (III) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है..... M.A.....
- (IV) न्यायालय जिसके (जिनके) द्वारा आरोप(आरोपों) की विरचना की गई..... M.A.....
- (V) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया थे..... M.A.....
- (VI) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/ हैं..... M.A.....

2. गुझो किसी अपराध(अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/ नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है/ नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा)

- (I) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं..... M.A.....
- (II) न्यायालय जिसने दंडित किया है..... M.A.....
- (III) पुलिस थाना (थाने)..... M.A..... जिला (जिले)..... M.A..... राज्य..... M.A.....
- (IV) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है..... M.A.....
- (V) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/ सुनाए गए थे..... M.A.....
- (VI) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/ रोके गए हैं..... M.A.....

स्थान:-

सितारा १८

तारीख:-

११-१-२०१२

## सत्यापन

मैं, उमर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/ करती हू० कि इस शपथ पत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विज्ञान के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई गाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्त्विक बात छिपाई नहीं गई है।.....

स्थान पर आज तारीख ११-१-२०१२ को सत्यापित किया।

टिप्पणी: इस प्र० २६ के संताग जो अभिसाक्षी को लाग नहीं है कोट द्वारा जारी है।

Sworn before me on the..... Day of  
 Mr./Ms. \_\_\_\_\_ Karmesh Chander Ram  
 N.S. Samant  
 The Commissioner of Police, New Delhi  
 11-1-12

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर  
पृष्ठ 15 का 6